रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री आलोक कुमार शुक्ल, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/71/2020
दावा पंजीकरण तिथि : 16-03-2020
आदेशार्थ रखने की तिथि : 06-10-2023
आदेश तिथि : 17th October, 2023

1) कुबेर प्रसाद तिवारी आत्मज स्व० श्री गिरजाप्रसाद तिवारी,
2) श्रीमती सीता तिवारी पत्नी स्व० श्री गिरजाप्रसाद तिवारी,
निवासी–ग्राम व पोस्ट कोरजा, पेण्ड्रा रोड,
वार्ड क्रमांक–07,जिला–बिलासपुर (छ०ग०)
3) श्रीमती ओमवती पिता स्व० श्री गिरजाप्रसाद तिवारी,
पत्नी श्री लक्ष्मण,
निवासी–ग्राम बेलिया, छोट वार्ड क्रमांक–14,
पोस्ट–कटकोना, कटकोना जिला–अनूपपुर (म०प्र०)
4) श्रीमती मंदाकिनी पिता स्व० श्री गिरजाप्रसाद तिवारी,
पत्नी श्री हुकुमचन्द,
निवासी–ग्राम कैल्हारी चिछिया टोला,
कैल्हारी, जिला–कोरिया (छ०ग०) पिनकोड–497 442 ....आवेदक

विरूद्ध

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ०ग०) ....रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री आनन्द किशोर ओझा, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने पति/पिता मृतक *गिरजा प्रसाद तिवारी आत्मज स्व० श्री शारदा प्रसाद तिवारी* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, 1987 के सेक्शन–16 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *आठ लाख* प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन एवं शपथ पत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि 68 वर्षीय मृतक पंडिताई का कार्य करता था तथा वह सेकण्ड क्लॉस जनरल टिकट संख्या–1521117D लेकर दिनांक 02-12-2016 को कटनी–बिलासपुर मेमो ट्रेन से जैतहरी से हर्री स्टेशन तक की यात्रा कर रहा था तथा यात्रा के दौरान भीड़ अधिक होने से मृतक अपने गंतव्य स्टेशन–हर्री आने से पहले गेट पर आकर खड़ा हो गया था कि उसी समय अचानक किसी का धक्का लगने से हर्री स्टेशन पर ही चलती ट्रेन

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

घटना की सूचना
से नीचे गिर गया जिसके परिणामस्वरूप घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई. घटना की सूचना
प्राप्त होने पर जीआरपी/पेन्ड्रा रोड द्वारा प्रकरण को मर्ग संख्या–113/16 पर कायम कर आगे की
कार्यवाही सम्पन्न की पुलिस कार्यवाही में मृतक के पास से उक्त यात्रा टिकट पुलिस द्वारा बरामद
किया गया है. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनट्‌वर्ड इंसीडेन्ट के अधीन
मृतक पति/पिता की मृत्यु हो जाने से तथा मृतक के माता–पिता की मृत्यु पूर्व ही में हो जाने से
पत्नी व संतान के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर
प्रतिकर राशि प्राप्त करने के हकदार होने से यह दावा आवेदन पेश किया गया है

2. रेस्पांडेन्ट ने जवाबदावे में विरोध करते हुए यह कहा है कि मृतक बुजुर्ग था एवं
शरीर कंपकंपाने से एवं बिना छड़ी के वह चल नहीं पाता था, अतः उतरने से पहले उसने अपनी
छड़ी नीचे फेंकी और फिर उतरते समय ट्रेन चल देने से वह दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिसके
लिए मृतक स्वयं जिम्मेदार है, वहीं वैधानिक तरीके से की गई अपनी जाँच रिपोर्ट में पाये गये
निष्कर्ष के आधार घटना के समय मृतक के बोनाफाइड पैसेन्जर होना मान्य करते हुए उसके साथ
हर्री स्टेशन पर घटित घटना को भी स्वीकार किया है, किन्तु अपना प्रतिरोध इस बात तक सीमित
रखा है कि मृतक ज्यादा उम्रदराज होने से उसके हाथ–पांव कांपते थे. बावजूद इसके मृतक अकेले
ही यात्रा कर रहा था जिससे उसके साथ दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना थी. तथा दावाकर्ता के
बयान के अनुसार मृतक डंडा लेकर चलते थे और उतरते समय पहले डंडा नीचे फेंकते थे फिर
उतरते थे इसलिए हो सकता है कि उतरने के दौरान गाड़ी चल पड़ी और वे नीचे गिर गये होंगे.
अतः मृतक शारीरिक तौर पर अस्वस्थ होने से परिवार वालों की जिम्मेदारी थी कि वे मृतक को
अकेले यात्रा नहीं करने देते. एवं कोई एक सदस्य साथ में यात्रा करें जो कि गाड़ी में उतरने–चढ़ने
में उसकी सहायता करता. अतः घटना के लिए मृतक स्वयं जिम्मेदार होने से मुआवजा देने के
अपने उत्तरदायित्व से इनकार किया है एवं दावा आवेदन को खारिज किये जाने की प्रार्थना
रेस्पांडेन्ट द्वारा की गई है

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की
रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger of the train in question at the time of occurrence of the alleged untoward incident ?*

2) *Whether the death of the deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway Administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

निरंतर...... 3/07

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependents ?*

5) *Relief and cost ?*

4. आवेदकों की ओर से आवेदक क्रमांक–1 ने स्वयं के शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1* से *A-17* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश किया गया है. आवेदक–साक्षी का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

5. तदनुसार दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुनकर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो एव साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

__इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2__ :

6. विवरण मे तारतम्यता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट) नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जाँच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में जब्त टिकट के आधार पर घटना के समय मृतक के विवेचित यात्री ट्रेन से बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करने एवं हर्री स्टेशन पर मृतक के साथ घटित घटना को स्वीकार करते हुए अंतिम तौर पर यही निष्कर्षित किया है कि मृतक उम्रदराज था एव उसके हाथ–पैर कंपते थे, वह हमेशा छड़ी लेकर चलता था तथा उतरने से पहले वह अपनी छड़ी पहले नीचे फेंकता था एव बाद में उतरता था, अतः घटना के समय भी वह उतरने से पहले अपनी छड़ी नीचे फेंक कर उतरते समय ट्रेन चल देने से दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिसके लिए परिजनों के साथ–साथ मृतक की गलती एव लापरवाही ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब मृतक की यह अवस्था थी तो परिजनों को उसे अकेले यात्रा नहीं करनी देनी चाहिए थी. रेस्पांडेन्ट यह भी तर्क दे रहा है कि दावाकर्ता ने भी अपने कथन (आर–13/19–20) में यही कहा है, अतः घटना के लिए रेलवे की कोई जवाबदारी नहीं है.

7. साक्ष्य के तौर पर उपस्थित आवेदक क्रमांक–1 की साक्ष्य से यह साबित होता है कि यह साक्षी साथ में नहीं था, हाँ केवल उसने यह बताया है कि मृतक पिता के हाथ–पैर कंपते थे इसलिए वे डंडा लेकर चलते थे

8. मेरे द्वारा पत्रावलि एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा मौखिक साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन किया. रेलवे का यह तर्क कि मृतक बुजुर्ग था, हाथ–पैर कांपते थे तो परिजनों को

निरंतर......4/पर

उनको अकेले यात्रा नहीं करने देनी चाहिए थी और कोई साथ में एक सदस्य हमेशा रहना चाहिए था जो मृतक को यात्रा के दौरान ट्रेन से चढ़ने और उतरने के दौरान मदद करता था. सैध्दांतिक तौर से ठीक तो है, किन्तु कई बार व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं हो सकता है. वैसे भी आवेदक–साक्षी के कथन को ही रेलवे द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में प्रमुखता से कोट किया गया है कि मृतक पिता के साथ आवेदक ने कई बार यात्रा की है, जो कि अपनेआप धारित करता है कि मृतक की शारीरिक स्थिति का परिजनों को भलीभांति ध्यान था. किन्तु यह हर समय व्यावहारिक नहीं हो सकता कि प्रत्येक यात्रा में परिजन साथ ही हो. दूसरी ओर, रेलवे ने यह स्वीकार किया है कि मृतक ने उतरने के दौरान पहले अपनी छड़ी फेंकी फिर वह उतर रहा होगा तो ट्रेन स्टार्ट हो जाने से वह दुर्घटना का शिकार हो गया होगा. वहीं विवेचित यात्री गाड़ी के गार्ड के बयान (आर–9 / 14–15) के अनुसार यह साबित है कि उक्त ट्रेन का हरी स्टेशन पर अत्यंत अल्प समय का, अर्थात 1 मिनट का ही स्टॉपेज है, इसलिए यह अधिक निकटस्थ साबित होती है कि मृतक ने हमेशा की भांति अपनी छड़ी नीचे फेंकी और उतरने के दौरान ही ट्रेन स्टार्ट हो जाने से वह दुर्घटना का शिकार हो गया. अतः यह कहीं से भी साबित नहीं होती है कि मृतक द्वारा ऐसी कोई लापरवाही अथवा गलती की गई थी जो कि *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अधीन अपवादों से आच्छादित हो जाए. दूसरी ओर रेस्पांडेन्ट की ओर से भी विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाने से यह साबित नहीं हो पाया है कि मृतक द्वारा ऐसी कोई अनिवार्य गलती अथवा लापरवाही की गई थी. जहाँ तक लापरवाही का कोई प्रश्न है तो माननीय सुप्रीमकोर्ट ने *भारत संघ वि० रीनादेवी* प्रकरण *(civil appeal no. 4945 of 2018 decided on 9th May, 2018)* के पैरा क्रमांक–18.1 में यह साफ धारित कर दिया है कि *Section 124 and section 124 A provide that compensation is payable whether or not there has been wrongful act, neglect or fault on the part of the railway administraion in the case of an accident or in the case of an untoward incident, only exception are those provided under provision to section 124 A in Prabhakaran vijaya kumar it was held that section 124 A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents. Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required.* अर्थात माननीय सुप्रीमकोर्ट के उक्त उल्लेखित न्यायसिध्दान्त को ध्यान में रखते हुए मैं यही अवधारित करता हूँ कि मृतक के साथ घटित घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करते समय अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों में ही घटित हुई थी, इसलिए इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदकों के ही पक्ष में किया जाता है

<u>इश्यूज क्रमांक–3</u> :

9. घटना को *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों में होने को पुख्ता सबूतों द्वारा साबित करने में रेस्पांडेन्ट असमर्थ रहा है इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

निरंतर.......5/पर

<u>इश्यूज क्रमांक–4 एवं 5 :</u>

10. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पति/पिता की पत्नी एवं संतान होने के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है एवं अपने–आप को आश्रित साबित करने के लिए उन की ओर से बुनियादी दस्तावेजों के अलावा मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, आवेदकों के आधारकार्ड, बैंक बचतखाता पासबुक तथा राशनकार्ड *(A-7 to 17)* आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है. प्रति–परीक्षण में साक्षी द्वारा मृतक के माता–पिता के जीवित नहीं होने का अभिवचन किया है. इस प्रकार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सभी आवेदक *रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन–123 (B)(i)* के अधीन मृतक पति/पिता की पत्नी व संतान के तौर पर आश्रित मान्य किये जाते हैं.

11. चूंकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

12. वर्तमान प्रकरण में घटना दिनांक *(02-12-2016)* को निर्धारित मुआवजा राशि एवं उस पर वाजिब दर से ब्याज सहित गणित कुल राशि से आदेश दिनांक को निर्धारित धनराशि अधिक होने से व अधिक धनराशि दिये जाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की ही राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं –

:: आ दे श ::

13. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *8,00,000/-* को आश्रित के तौर पर आवेदक को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)	As Fixed Deposit/ Annuity (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)
1)	श्रीमती मीना तिवारी	पत्नी	74	5,00,000/-	50,000/-	4,50,000/-
2)	श्री कुबेर प्रसाद तिवारी	पुत्र	50	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
3)	श्रीमती ओमवती	पुत्री	37	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
4)	श्रीमती मंदाकिनी	पुत्री	35	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-

14. लाभार्थी/लाभार्थियों के उम्र को दृष्टिगत रखते हुए तथा मुआवजा राशि का दुरूपयोग होने से बचाने के लिए इस राशि को निम्नानुसार जमा/निर्गमन किया जाएगा :–

निरंतर........6/पर

(1) उक्त तालिका के क्रमांक–1 अर्थात् मृतक की पत्नी को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि अर्थात् 50,000 को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको संबंधित लाभार्थी तत्काल निकाल सकती है एवं शेष राशि अर्थात् रुपये 4,50,000/- को 15,000 प्रति माह के हिसाब से एक माह से 30 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

(2) उक्त तालिका के क्रमांक–2 से लेकर 4 अर्थात् मृतक की वयस्क संतान को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10-10% राशि अर्थात् 10-10 हजार को सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको संबंधित लाभार्थी तत्काल निकाल सकते है एवं शेष राशि अर्थात् रुपये 90-90 हजार को 2-2 हजार प्रति माह के हिसाब से एक माह से 45 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

15. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से 60 दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा

16. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा. किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक 12% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा

17. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे.
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी.
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी.
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी

18. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा

19. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी

20. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पैनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

21. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा.

शेष......7/-

Sd/-

22. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

23. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No* **10064520760** *IFSC Code* . **SBIN0005798** *(State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में **RTGS** के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

24. यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक,शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सावधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए.

25. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक ने करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

26. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उनके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

27. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर)

28. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

29. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगी.

30. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 2476/2677 of 2019; decided on 5th March, 2019* के पैरा-40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के *राजेश त्यागी वि जय वीर सिंह* प्रकरण ने जमा योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है

31. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है. पक्ष अपना-अपना वादव्यय वहन करेंगे. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी. प्रकरण-फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

Sd/-

(आलोक कुमार शुक्ला)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक **17th October, 2023** को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

(आलोक कुमार शुक्ला)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

19/10/23
सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल